न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 93/2018

अनवान :

अमीलाल पुत्र उदयराम जाति जाट निवासी किराडाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र उदयराम जाति जाट निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. राजस्थान जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता तकसीम एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्त.अधि. 1955
उपस्थिति : वकील श्री किसनलाल यादव : वादी
वकील श्री जयकिशन गोदारा : प्रतिवादी सं0 1

निर्णय **दिनांक : 17-02-2**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि गांव किराड़ाछोटा की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 75 के खाता सं0 4/68 के खसरा सं0 76 की 4.098 है0, खसरा सं0 80 की 4.882 है0 कुल 8.980 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी दोनों सगे भाई है। फरीकेन के खेत के खसरा सं0 80 के दक्षिणी ओर किराड़ाबड़ा से भाडी जाने वाली सड़क लगती है। वादी एवं प्रतिवादी ने वाद भूमि का अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मंदी के अनुसार तथा सड़क पर लगने वाली भूमि में दोनों को बराबर – बराबर हिस्सा रखते हुए आपस में भाई पंचायत एवं रिश्तेदारों में बैठकर के बंटवारा कर लिया था। उक्त बंटवारानामा दिनांक 30.05.2017 को किया जाकर उसकी एक लिखापढ़ी घरेलु तौर पर रूबरू गवाहान कर ली। मुताबिक बंटवारानामा खसरा सं0 80 व 76 का पूर्वी हिस्सा वादी के हक में तथा पश्चिमी हिस्सा प्रतिवादी अमरसिंह के हिस्सा में बंटवारा में आया था। बंटवारा के समय सुरेन्द्रपाल नेहरा, प्रतापसिंह कस्वां, प्रतिवादी अमरसिंह उसका लड़का भालसिंह, मोहनलाल पांडर, हरपालसिंह आदि मौजूद थे। वादी एवं प्रतिवादी ने अच्छी मंदी के हिसाब से बंटवारा कर लेने के बाद में अभी तक वादी एवं प्रतिवादी का खाता संयुक्त तौर से मौजूद है। वादी वाद भूमि का खाता विभाजन मुताबिक बंटवारा मौके पर करवाकर के उसका कब्जा अलग से प्राप्त करने का अधिकारी है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद पेश होने के उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया था जिसमें वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई थी तथा साक्ष्य ली जाकर एवं पक्षकारान की सुनवाई के उपरान्त प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार भादरा से विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु भेजी गई थी जिस पर तहसीलदार भादरा से विभाजन प्राप्त हुआ। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुना गया कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद भूमि पक्षकारान के हिस्से में निम्नानुसार रहेगी :–

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रै भादरा

1. अमरसिंह वल्द उदयराम कौम जाट साकिन किराड़ाबड़ा खातेदार : ग्राम किराड़ाबड़ा के खसरा सं0 76/1 की 2.049 है0 खसरा सं0 80/1 की 2.441 है0 किता 2 रकबा 4.490 है0 बारानी
2. अमीलाल वल्द उदयराम कौम जाट साकिन किराड़ाबड़ा खातेदार : ग्राम किराड़ाबड़ा के खसरा सं0 76/2 की 2.049 है0 खसरा सं0 80/2 की 2.441 है0 किता 2 रकबा 4.490 है0 बारानी

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक यथावत् दर्ज रखा जावे तथा उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि अमलदरामद की जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17-02-2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक भादरा)
(मुकेश बारेठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 93/2018

अनवान :

अमीलाल पुत्र उदयराम जाति जाट निवासी किराडाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र उदयराम जाति जाट निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. राजस्थान जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज **यह वाद मुझ मुकेश बारैठ** सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के **समक्ष** वकील वादी श्री किसनलाल यादव एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 श्री जयकिशन गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद भूमि पक्षकारान के हिस्से में निम्नानुसार रहेगी :–

1. **अमरसिंह वल्द उदयराम कौम जाट साकिन किराड़ाबड़ा खातेदार** : ग्राम किराड़ाबड़ा के खसरा सं0 76/1 की 2.049 है0 खसरा सं0 80/1 की 2.441 है0 किता 2 रकबा 4.490 है0 बारानी

2. **अमीलाल वल्द उदयराम कौम जाट साकिन किराड़ाबड़ा खातेदार** : ग्राम किराड़ाबड़ा के **खसरा सं0** 76/2 की 2.049 है0 खसरा सं0 80/2 की 2.441 है0 किता 2 रकबा 4.490 है0 बारानी

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक यथावत् दर्ज रखा जावे तथा उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि अमलदरामद की जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) (मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.25 14:34:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: